भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2209
09.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना

2209. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेषकर वनों की कटाई और वन संरक्षण के संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना में वन संरक्षण को एकीकृत करने के लिए क्या योजना प्रस्तावित है; और
(ग) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन से बेहतर ढंग से निपटने के लिए मौजूदा वन संरक्षण कानूनों को अद्यतन या सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है तथा अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकासात्मक कार्यनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत कर दी है; दोनों ही पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के एनडीसी के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना।

सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को लागू कर रही है, जो जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापक कार्य संरचना का काम करती है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान मिशन शामिल हैं।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार/संवर्द्धन करना तथा परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना है।

मंत्रालय नगर वन योजना (एनवीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य नगर वन और नगर वाटिका का विकास करना है, जिसका उद्देश्य वनों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाना और शहरों में हरित आवरण को बढ़ाना है, जिससे बेहतर पर्यावरण, जैव विविधता में वृद्धि और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी लाभ के अलावा शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। स्कूल नर्सरी योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को पौध नर्सरी तैयार करने में शामिल करना है, ताकि वे प्राकृतिक वातावरण के करीब आ सकें, अंकुरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझ सकें तथा पौधों को बढ़ते हुए देखने का आनंद उठा सकें।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागरिकों द्वारा ग्रह-हितैषी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'एक पेड़ माँ के नाम' #Plant4Mother अभियान की शुरुआत की है। अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा "मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम" (मिष्टी) योजना की शुरूआत एक पहल है जिसका उद्देश्य समुद्र तट और साल्टपैन भूमि पर मैंग्रोव क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, तटीय कटाव को रोकने और स्थानीय आजीविका को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

गैर-वन उपयोगों के लिए उपयोग की गई वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) का गठन किया गया है।

भारत के थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन के अनुसार, वर्ष 2005 से वर्ष 2019 के दौरान 1.97 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित किया गया है।
